

#### असाधारण

# EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं.** 908] No. 908] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2017

का.आ. 1020(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के उप-वाक्य (II) के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के उद्देश्य के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध विंग एवं भ्रष्टाचार विरोधी व्यूरो, छत्तीसगढ़ सरकार को विनिर्दिष्ट करती है।

यह स्पष्ट किया गया है कि आयकर प्राधिकरी, जैसा कि अधिसूचना सं. का. आ. 731(अ) दिनांक 28.07.2000, में विनिर्दिष्ट किया गया है—

- (i) इस राय को बना लेने के बाद कि ऐसी सूचना को इसलिए देना जरूरी है कि उपर्युक्त अधिसूचित प्राधिकारी अपने द्वारा लागू किए जाने वाले कानून के अंतर्गत काम कर सकें, संगत तथा परिशुद्ध सूचना उपलब्ध कराएगा; और
- (ii) इस अधिसूचना के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्देश देगा कि इस प्रकार दी गई सूचना की गोपनीयता पूरी तरह से बनाए रखी जा सके।

[अधिसूचना सं. 19/2017/फा. सं. 225/26/2016-आईटीए. II]

रोहित गर्ग, निदेशक, आईटीए-II

1821 GI/2017 (1)

#### MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

#### (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 27<sup>th</sup> March, 2017

**S.O. 1020(E).**—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 138 of the Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby specifies Addl. DGP, Economic Offences Wing & Anti Corruption Bureau, Government of Chhattisgarh for purposes of the said clause.

It is clarified that income-tax authority, as specified in Notification No. S.O. 731(E) dated 28.07.2000, shall—

- (i) furnish only relevant and precise information after forming an opinion that furnishing of such information is necessary so as to enable the above notified authority to perform its functions under the law being administered by it; and
- (ii) convey to the authority being specified vide this notification to maintain absolute confidentiality in respect of information being furnished.

[Notification No. 19/2017/F. No. 225/26/2016-ITA.II]

ROHIT GARG, Director, ITA.II